प्रेस नोट

***जनपद-संतकबीरनगर ***

दिनाँक 14.08.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय भेजा गया

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना महुली पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 292/2025 धारा 70(2), 351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित 01 बाल अपचारी को नियमानुसार अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 10.8.2025 को थाना महुली पर बावत दिनाँक 09.08.2025 को अभिरक्षा में लिए गए बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 14.08.2025 को अभिरक्षा में लिए गए बाल अपचारी को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय,का0 सुनील सिंह, का0 अभिषेक सिंह, का0 सूर्य प्रकाश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 114 वाहनों से 1,15,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 114 वाहनों से 1,15,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद डण्डे के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता सूरज पुत्र बुद्धिराम चौहान निवासी करहना थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 14.08.2025 को पुनया तिराहा हाकिमराई पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

सूरज पुत्र बुद्धिराम चौहान निवासी करहना थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर **।**

विदित हो उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 12/13.08.2025 कि रात्रि में अपनी भाभी शारदा देवी पत्नी राजबहादुर चौहान उम्र लगभग 40 वर्ष को सोते समय सिर व गले पर डंण्डे से वार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय धर्मसिंहवा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद आलाकत्ल डण्डा।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धर्मसिंहवा सुश्री सरोज शर्मा, उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव, का0 ओमवीर सिंह, का0 अमित कुमार, का0 अश्वनी यादव ।**

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 03 अभियुक्तो को 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने, 25-25 हजार के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू तथा 9000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 14.08.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 03 अभियुक्तो को 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने, 25-25 हजार के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू तथा प्रत्येक को 03-03 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 64/2003 धारा 147/323/325/504/506 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. अरुण कुमार पुत्र रामसहाय 02. जुगानी उर्फ प्रशान्त कुमार पुत्र चन्द्र प्रकाश 03. पिण्टू पुत्र मिश्रीलाल निवासीगण काँटा मान सिंह थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में 06-06 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने, 25-25 हजार के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू तथा प्रत्येक को 03-03 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अजय सिंह** के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 290/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01.गौरीशंकर यादव पुत्र रामजनम 02. रामजनम यादव पुत्र विश्राम 03. सीमा पुत्री रामजनम यादव 04. मनोरमा पुत्री रामजनम यादव निवासीगण देवरियाधाट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को बरगदवा कला गाँव के सरकारी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि दिनांक 11.08.2025 वादी हरिशचन्द्र पुत्र केदार निवासी चादचौरा थाना रुधौली जनपद बस्ती द्वारा थाना दुधारा पर तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री प्रमिला उम्र 25 वर्ष का विवाह 2019 में गौरी शंकर पुत्र रामजनम निवासी देवरियाधार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के साथ हुई थी परन्तु दहेज के लालच में परिजनों द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 14.08.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- थानाध्यक्ष दुधारा श्री इन्द्रभूषण सिंह, व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 रंजन कुमार सिंह, म0आ0 रुचि खरवार।